

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
किसान भवन, 26 अरेंज हिल्स, भोपाल

mail

ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्र/बोर्ड/नियमन/वि.अनु./टाटा कंजूमर/730/2024/823  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 17/12/2024

M/s Tata Consumer Products Limited,  
4th Floor, New Excelsior Building,  
A.K. Nayak Marg, Fort, Mumbai-400001 (Maharashtra)

Local Address - Flat No.:White Cliff Tea Pvt Ltd, A B Road, Village  
Mangliya District Indore-453771 (Madhya Pradesh)  
GSTIN - 23AABCT0602K1ZT

विषय - मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञासि) नियम-2009 (यथासंशोधित) के अधीन विशेष अनुज्ञासि के संबंध में।

संदर्भ - आपका आवेदन दिनांक 02.09.2024।

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 32-क के अधीन निर्मित नियम मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञासि) नियम, 2009 (यथासंशोधित) के तहत विशेष अनुज्ञासि स्वीकृति हेतु M/s Tata Consumer Products Limited से संदर्भित आवेदन प्राप्त हुआ है।

2. संदर्भित आवेदन के माध्यम से निम्न विनिर्दिष्ट मंडियों के क्षेत्रान्तर्गत अधिसूचित कृषि उपज - "मसाले" एवं "धान्य तथा दलहन" का कारोबार करने हेतु क्रय केंद्र स्थापना की अनुमति हेतु विशेष अनुज्ञासि स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है-


क्र	मंडी समिति का नाम	क्रय की जाने वाली कृषि उपज का समूह
1	इंदौर	"मसाले", "धान्य तथा दलहन"
2	सांचेर	"मसाले", "धान्य तथा दलहन"
3	जबलपुर	"मसाले", "धान्य तथा दलहन"

3. आवेदन पर विचारोपरांत M/s Tata Consumer Products Limited को नियम 2009 के तहत उक्त बिंदु 2 में अंकित मंडी क्षेत्रों के लिए विशेष अनुज्ञासि स्वीकृत करने का विनिश्चय किया गया है। विशेष अनुज्ञासि प्रमाण पत्र एवं संलग्नक प्रसारित किया जा रहा है। संलग्नक में अनुमोदित क्रय केंद्रों की सूची संलग्न है जोकि उक्त विशेष अनुज्ञासि का भाग होगी। उक्त सभी क्रय केंद्रों को सम्मिलित कर अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम क्रय मात्रा के संबंध में नियम 2009 की कंडिका 4(2) के प्रावधान लागू रहेंगे।



4. नियम 2009 के नियम 6 के अधीन प्रतिभूति स्वरूप बैंक गारंटी/एफडीआर जमा करना अनिवार्य होगा। कृषिकों को कृषि उपज का नियत समयसीमा में पूर्ण भुगतान करना अनिवार्य होगा।
5. क्रय केंद्र स्थापना के संबंध में नियम 2009 के नियम 8(6) तथा नियम 8(7) के प्राप्तधान लागू होंगे तथा क्रय केंद्र पर नियम 10 के अधीन प्रसुविधाओं का सृजन करना अनिवार्य होगा।
6. अधिनियम, नियम, उपविधि, के प्रावधानों तथा ई-अनुज्ञा पोर्टल, पर कार्य करने के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना बंधनकारी होगा।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

  
 (कुमार पुरुषोत्तम)  
 आयुक्त सह प्रबंध संचालक  
 म प्र राज्य कृषि विषयन बोर्ड  
 भोपाल

क्र/बोर्ड/नियमन/वि.अनु./टाटा कंजूमर/730/2024/824 भोपाल, दिनांक 17/12/2024

प्रतिलिपि:-

- संयुक्त संचालक, म प्र राज्य कृषि विषयन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय \_\_\_\_\_ (समस्त) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। अनुज्ञासिधारक से अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का पूर्ण पालन सुनिश्चित कराया जाए। आपके स्तर से इस विषय की जानकारी संभाग की समस्त कृषि उपज मंडी समिति को दी जाए।
- सचिव कृषि उपज मंडी समिति \_\_\_\_\_ ज़िला \_\_\_\_\_, म. प्र. (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- सहायक संचालक (आईटी शाखा), म प्र राज्य कृषि विषयन बोर्ड भोपाल। विशेष अनुज्ञासिधारी M/s Tata Consumer Products Limited भोपाल को स्वीकृत विशेष अनुज्ञासि की ई-अनुज्ञा पोर्टल मे आवश्यक प्रविष्टि की जाए।

  
 आयुक्त सह प्रबंध संचालक  
 म प्र राज्य कृषि विषयन बोर्ड  
 भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी कार्यालय  
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल  
प्ररूप - तीन  
(नियम 9 देखिए)

एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज के कारबार के लिए विशेष  
अनुज्ञासि

विशेष अनुज्ञासि क्रमांक/एस.एल./2024/ 49

दिनांक 17/12/2024

श्री/श्रीमती/कुमारी/मेसर्स M/s Tata Consumer Products Limited, 4th Floor, New Excelsior Building, A.K. Nayak Marg, Fort, Mumbai-400001 (Maharashtra) स्थानीय पता - Flat No.:White Cliff Tea Pvt Ltd, A B Road, Village-Mangliya District Indore-453771 (Madhya Pradesh) को अधिनियम की धारा 32-के अधीन निम्नांकित एक से अधिक मंडी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के कारबार हेतु तारीख 17 माह 12 सप्टेम्बर 2024 तक विशेष अनुज्ञासि स्वीकृत की जाती है :-

अनु. क्र.	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञासि स्वीकृत/ नवीनीकृत की गई है।	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार हेतु अनुज्ञासि प्रदान की गई है।	संबंधित मंडी क्षेत्र का समिति का नाम	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केंद्रों के नाम	कारबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता
1	2	3	4	5	6	7

संलग्न सूची - परिशिष्ट - 1 अनुसार.

2. इस अनुज्ञासि के अधीन अनुज्ञासिधारक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह वित्तीय वर्ष में समस्त क्रय केंद्रों में मिलाकर नीचे यथा दर्शित अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम मात्रा क्रय करे :-

अनु. क्र.	अधिसूचित कृषि उपज का नाम	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में क्रय की जाने वाली न्यूनतम मात्रा {मीट्रिक टन में (नियम 4 (2) देखिए)}
1	"मसाले"	1000 मीट्रिक टन
	"धान्य तथा दलहन"	2000 मीट्रिक टन

3. अनुज्ञासिधारी, इस अनंतिम अनुज्ञासि के दिए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर विनिर्दिष्ट क्रय केंद्र पर निम्नलिखित प्रसविधाएं सुजित करेगा :-

- (एक) इलेक्ट्रानिक वे ब्रिज
- (दो) पेयजल की समुचित व्यवस्था
- (तीन) समुचित प्रकाश व्यवस्था

- (चार) पुरुष/महिला के लिए शौचालय की सुविधा
- (पांच) शेड की व्यवस्था
- (छह) कृषकों के लिए छायादार विश्राम स्थल
- (सात) भुगतान काउंटर
- (आठ) ट्रैक्टर ट्राली की पार्किंग की समूचित व्यवस्था
- (नौ) नमी, कचरा, क्षतिग्रस्त दानों के प्रतिशत के निर्धारण के लिए उपकरण तथा मानव शक्ति
- (दस) प्रवेश, विक्रय-क्रय, भुगतान तथा तौल काउन्टरों/ क्षेत्रों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापना
- (ज्यारह) क्रय-विक्रय लेखा की मैन्युअल के साथ ही डिजीटल बैंकअप प्रणाली संधारण.

एक्सचेंज अनुज्ञासिधारक के मामले में -

- (एक) इलेक्ट्रॉनिक ट्रैडिंग प्लेटफार्म
- (दो) उपयुक्त उपकरण के साथ श्रेणीकरण किस्म परीक्षण तथा प्रमाणीकरण सुविधा.
- (तीन) सुपुर्दग्गी केंद्र

विनिर्दिष्ट क्रय केंद्रों में से किसी क्रय केंद्रों में प्रथम वर्ष की समाप्ति पर उपरोक्त प्रसुविधाओं को सृजित करने में असफल रहने पर, एक वर्ष के लिए दी गई अनंतिम विशेष अनुज्ञासि को ऐसे क्रय केंद्र के लिए आगामी वर्षों के लिए नियमित नहीं किया जाएगा.

4. यह विशेष अनुज्ञासि दिनांक 17/12/2024 से 16/12/2025 तक प्रभावशील रहेगी, परंतु अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं उपविधियों के उल्लंघन पर किसी भी समय निलंबित या रद्द की जा सकेगी।

5. यह अनंतिम अनुज्ञासि निम्नलिखित मुख्य आधारों पर निलंबित या रद्द की जा सकेगी :-

- (एक) विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र में कृषकों को उनकी कृषि उपज का देय भुगतान न करने पर.
- (दो) मंडी फीस, निराश्रित शुल्क का भुगतान अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन उपबंधों के अनुसार तथा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर न करने पर.
- (तीन) मंडी फीस का अपंचन करने, जारी अनुज्ञापत्र, रसीदे या अन्य जाती मंडी अभिलेखों का संधारण करने तथा जाती दस्तावेज प्रस्तुत करने या कराया जाना पाए जाने पर.
- (चार) मंडी समितियों या बोर्ड, को देय रकम का सूचना-पत्र के अनुसार समय-सीमा के भीतर भुगतान न करने पर, व्यतिक्रमी पाए जाने पर.
- (पांच) अधिनियम, नियमों तथा उसके अधीन बनाई गई उपविधियों द्वारा नियत समय-सीमा के भीतर विहित नियतकालिक विवरणियां प्रस्तुत न करने पर.
- (छ) बोर्ड, मंडी समिति से जारी किए गए निर्देशों की अवज्ञा किया जाना पाए जाने पर.
- (सात) अधिसूचित कृषि उपज का न्यूनतम विहित मात्रा में क्रय न किए जाने पर.



अधिसूचित प्राधिकारी/ अधिकारी  
प्रबंध संचालक सह आयुष  
कार्यालय  
मंडी समिति संचालक कृषि प्रिपायल बोर्ड  
प्रबंध संचालक  
म.प्र. राज्य कृषि प्रिपायल दोर्ड,  
भोपाल (म.प्र.)

M/S Tata Consumer Products Limited,  
4th Floor, New Excelsior Building,  
A.K. Nayak Marg, Fort, Mumbai-400001 (Maharashtra)

Local Address - Flat No.:White Cliff Tea Pvt Ltd, A B Road, Village  
Mangliya District Indore-453771 (Madhya Pradesh)

GSTIN - 23AABCT0602K1ZT


विशेष अनुज्ञासि क्रमांक/एस.एल./2024/49 दिनांक 17/12/2024

वैधता अवधि - दिनांक 16/12/2025 तक

### क्रय केंद्र सूची

अनु क्र	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञासि स्वीकृत/नवीनीकृत की गई है।	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार हेतु अनुज्ञासि प्रदान की गई है।	संबंधित मंडी समिति का नाम	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केंद्रों के नाम	कारबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता
1	2	3	4	5	6	7
1	"मसाले", "धान्य तथा दलहन"	इंदौर	इंदौर	Ajit Singh Om Prakash Pvt Ltd, 66/1,67/4/2,68/3/3, Lasudiya Mori, Dewas Naka, Indore.	Ajit Singh Om Prakash Pvt Ltd, 66/1,67/4/2,68/3/3, Lasudiya Mori, Dewas Naka, Indore.	Shri Arjun Dagadu Varal मो.नं.- 9892945783
2	"मसाले", "धान्य तथा दलहन"	सांवर	सांवर	Clearchem Agencies, Godown Survey No. 284/7/2, 284/8/284/9 Village Arjun Baroda, Teh. Sanwer District Indore.	Clearchem Agencies, Godown Survey No. 284/7/2, 284/8/284/9 Village Arjun Baroda, Teh. Sanwer District Indore.	Shri Arjun Dagadu Varal मो.नं.- 9892945783

3	"मसाले", "धान्य तथा दलहन"	जबलपुर	जबलपुर	M/S Carryfast Logistics Pvt.Ltd. Kh.No. 225.232/2, Katangi Bypass Road, Village Padwarkalan, Tehsil Panagar, Dist. Jabalpur	M/S Carryfast Logistics Pvt.Ltd. Kh.No. 225.232/2, Katangi Bypass Road, Village Padwarkalan, Tehsil Panagar, Dist. Jabalpur	Shri Arjun Dagadu Varal मो.नं.- 9892945783
---	---------------------------------	--------	--------	--	--	---

  
 प्रवंध संस्थापनामूल्क आयुक्त  
 गणराज्य सूचित प्रतिवार्षिक अधिकारी बोर्ड  
 प्रदेश सूचित कक्ष  
 म.प्र. राज्य कृषि विभाग बोर्ड,  
 भोपाल (म.प्र.)